

Section 79 : Recovery of tax

- (1) Where any amount payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder is not paid, the proper officer shall proceed to recover the amount by one or more of the following modes, namely: –
- (a) the proper officer may deduct or may require any other specified officer to deduct the amount so payable from any money owing to such person which may be under the control of the proper officer or such other specified officer;
 - (b) the proper officer may recover or may require any other specified officer to recover the amount so payable by detaining and selling any goods belonging to such person which are under the control of the proper officer or such other specified officer;
 - (c)
 - (i) the proper officer may, by a notice in writing, require any other person from whom money is due or may become due to such person or who holds or may subsequently hold money for or on account of such person, to pay to the Government either forthwith upon the money becoming due or being held, or within the time specified in the notice not being before the money becomes due or is held, so much of the money as is sufficient to pay the amount due from such person or the whole of the money when it is equal to or less than that amount;
 - (ii) every person to whom the notice is issued under sub-clause (i) shall be bound to comply with such notice, and in particular, where any such notice is issued to a post office, banking company or an insurer, it shall not be necessary to produce any pass book, deposit receipt, policy or any other document for the purpose of any entry, endorsement or the like being made before payment is made, notwithstanding any rule, practice or requirement to the contrary;
 - (iii) in case the person to whom a notice under sub-clause (i) has been issued, fails to make the payment in pursuance thereof to the Government, he shall be deemed to be a defaulter in respect of the amount specified in the notice and all the consequences of this Act or the rules made thereunder shall follow;
 - (iv) the officer issuing a notice under sub-clause (i) may, at any time, amend or revoke such notice or extend the time for making any payment in pursuance of the notice;
 - (v) any person making any payment in compliance with a notice issued under sub-clause (i) shall be deemed to have made the payment under the authority of the person in default and such payment being credited to the Government shall be deemed to constitute a good and sufficient discharge of the liability of such person to the person in default to the extent of the amount specified in the receipt;

Central Goods & Services Tax Act, 2017

- (vi) any person discharging any liability to the person in default after service on him of the notice issued under sub-clause (i) shall be personally liable to the Government to the extent of the liability discharged or to the extent of the liability of the person in default for tax, interest and penalty, whichever is less;
 - (vii) where a person on whom a notice is served under sub-clause (i) proves to the satisfaction of the officer issuing the notice that the money demanded or any part thereof was not due to the person in default or that he did not hold any money for or on account of the person in default, at the time the notice was served on him, nor is the money demanded or any part thereof, likely to become due to the said person or be held for or on account of such person, nothing contained in this section shall be deemed to require the person on whom the notice has been served to pay to the Government any such money or part thereof;
 - (d) the proper officer may, in accordance with the rules to be made in this behalf, distrain any movable or immovable property belonging to or under the control of such person, and detain the same until the amount payable is paid; and in case, any part of the said amount payable or of the cost of the distress or keeping of the property, remains unpaid for a period of thirty days next after any such distress, may cause the said property to be sold and with the proceeds of such sale, may satisfy the amount payable and the costs including cost of sale remaining unpaid and shall render the surplus amount, if any, to such person;
 - (e) the proper officer may prepare a certificate signed by him specifying the amount due from such person and send it to the Collector of the district in which such person owns any property or resides or carries on his business or to any officer authorised by the Government and the said Collector or the said officer, on receipt of such certificate, shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were an arrear of land revenue;
 - (f) Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), the proper officer may file an application to the appropriate Magistrate and such Magistrate shall proceed to recover from such person the amount specified thereunder as if it were a fine imposed by him.
- (2) Where the terms of any bond or other instrument executed under this Act or any rules or regulations made thereunder provide that any amount due under such instrument may be recovered in the manner laid down in sub-section (1), the amount may, without prejudice to any other mode of recovery, be recovered in accordance with the provisions of that sub-section.
- (3) Where any amount of tax, interest or penalty is payable by a person to the Government under any of the provisions of this Act or the rules made thereunder and which remains unpaid, the proper officer of State tax or

Central Goods & Services Tax Act, 2017

¹Union territory tax, during the course of recovery of said tax arrears, may recover the amount from the said person as if it were an arrear of State tax or Union territory tax and credit the amount so recovered to the account of the Government.

- (4) Where the amount recovered under sub-section (3) is less than the amount due to the Central Government and State Government, the amount to be credited to the account of the respective Governments shall be in proportion to the amount due to each such Government.

²[**Explanation** – For the purpose of this section, the word person shall include “distinct persons” as referred to in sub-section (4) or, as the case may be, sub-section (5) of section 25.]

—————

1 Union Territory Tax words are missing in Official Gazette of Hindi version.

2 Explanation inserted by CGST (Amendment) Act, 2018 (No. 31 of 2018). It is made effective from 01-02-2019 by Noti. No. 02/2019–Central Tax, dt. 29-01-2019.

धारा 79 : कर की वसूली

- (1) जहां इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय किसी रकम को संदत्त नहीं किया जाता है, वहां समुचित अधिकारी निम्नलिखित एक या अधिक ढंगों से रकम को वसूल करने के लिए अग्रसर होगा, अर्थात् :
- (क) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति को संदेय किसी ऐसी रकम से इस प्रकार देय रकम की कटौती करेगा या किसी अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी से रकम की कटौती करने की अपेक्षा करेगा, जो रकम समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणधीन है;
- (ख) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार देय रकम की ऐसे व्यक्ति से संबंध रखने वाली ऐसी वस्तुओं को निरुद्ध करके और विक्रय करके, जो समुचित अधिकारी या ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट अधिकारी के नियंत्रणाधीन है, वसूली करेगा;
- (ग) (i) समुचित अधिकारी लिखित सूचना द्वारा किसी अन्य व्यक्ति से, जिससे धन शोध्य है या ऐसे व्यक्ति को शोध्य हो सकेगा, जो ऐसे व्यक्ति के लेखे धन धारण करता है या पश्चात्पूर्ती रूप से धन धारण कर सकेगा, सरकार को धन शोध्य होने पर या उसके धारण किए जाने पर तुरंत या सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर, जो धन के शोध्य या धारण किए जाने से पूर्व का नहीं होगा, उतने धन का, जो ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम का संदाय करने के लिए पर्याप्त हो या संपूर्ण धन को जब वह उस रकम के समतुल्य या कम हो, संदाय करने की अपेक्षा कर सकेगा;
- (ii) प्रत्येक व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की जाती है, ऐसी सूचना का अनुपालन करने के लिए आबद्ध होगा और विशिष्टियां जहां ऐसी सूचना किसी डाकघर, बैंककारी कंपनी या किसी बीमाकर्ता को जारी की जाती है वहां किसी पासबुक, जमा रसीद, पॉलिसी या किसी अन्य दस्तावेज को किसी प्रविष्टि, पृष्ठांकन या समान दस्तावेज को तत्प्रतिकूल किसी नियम, पद्धति या अपेक्षा के होते हुए भी संदाय किए जाने से पूर्व प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं होगा;
- (iii) कोई व्यक्ति, जिसे उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी की गई है, उसके अनुसरण में सरकार को संदाय करने में असफल रहने की दशा में सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के संबंध में व्यतिक्रमी समझा जाएगा और उसे इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए सभी नियमों के परिणाम भुगतने होंगे;
- (iv) उपखंड (i) के अधीन सूचना जारी करने वाला अधिकारी किसी भी समय ऐसी सूचना का संशोधन कर सकेगा या प्रतिसंहरण कर सकेगा या सूचना के अनुसरण में संदाय के लिए समय का विस्तार कर सकेगा;
- (v) उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की अनुपालना में संदाय करने वाला किसी व्यक्ति के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्राधिकार के अधीन संदाय किया है और ऐसे संदाय को सरकार के पास जमा किए जाने पर ऐसे व्यक्ति की, व्यतिक्रमी व्यक्ति के प्रति दायित्व का, रसीद में विनिर्दिष्ट रकम की सीमा तक उत्तम और पर्याप्त निर्वहन समझा जाएगा;
- (vi) व्यतिक्रमी व्यक्ति के किसी दायित्व का उपखंड (i) के अधीन जारी सूचना की तामील के पश्चात् निर्वहन करने वाला कोई व्यक्ति, निर्वहन किए गए दायित्व की सीमा तक या कर, ब्याज और शास्ति, के लिए व्यतिक्रमी व्यक्ति के दायित्व, इनमें से जो भी कम हो, की सीमा तक सरकार के प्रति दायी होगा;

- (vii) जहां कोई व्यक्ति, जिस पर उपखंड (i) के अधीन सूचना की तामील की गई है, सूचना जारी करने वाले व्यक्ति के समाधानप्रद रूप में यह साबित कर देता है कि मांग किया गया धन या उसका कोई भाग व्यतिक्रमी व्यक्ति से शोध्य नहीं था या यह कि वह व्यतिक्रमी व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे उस पर सूचना की तामील किए जाने के समय किसी धन को धारण नहीं कर रहा था और न ही मांग किया गया धन या उसके किसी भाग के उस व्यक्ति से शोध्य होने या उसके लिए ऐसे व्यक्ति के लिए या उसके मद्दे धारण किए जाने की संभावना है, वहां इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात उस व्यक्ति से जिस पर ऐसे किसी धन या उसके भाग की सरकार को संदाय करने के लिए सूचना की तामील की गई है, संदाय करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- (घ) समुचित अधिकारी, इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार ऐसे व्यक्ति की या उसके नियंत्रणाधीन किसी जंगम या स्थावर संपत्ति का करस्थम् और उसे तब तक निरूद्ध कर सकेगा जब तक कि संदेय रकम को संदत्त नहीं कर दिया जाता है और उक्त संदेय रकम का कोई भाग या करस्थम् की लागत या संपत्ति को रखने की लागत, ऐसे करस्थम् के पश्चात् अगले तीस दिन की कालावधि के पश्चात् असंदत्त रहती है तो वह उक्त संपत्ति का विक्रय करवा सकेगा तथा ऐसे विक्रय के आगमों से संदेय रकम को चुकाया जाएगा तथा रकम, जिसके अंतर्गत शेष असंदत्त विक्रय की लागत भी है और आधिक्य रकम, यदि कोई हो, को ऐसे व्यक्ति को दे दी जाएगी;
- (ङ.) समुचित अधिकारी ऐसे व्यक्ति से शोध्य रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाण-पत्र तैयार करेगा और इसे उस जिले के कलेक्टर या सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को भेजेगा, जिसमें ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है या वह निवास करता है या अपना कारबार करता है और उक्त कलेक्टर या उक्त अधिकारी, ऐसे प्रमाण-पत्र की प्राप्ति पर ऐसे व्यक्ति से उस प्रमाण-पत्र में विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए इस प्रकार कार्यवाही करेगा मानो वह भू-राजस्व की बकाया थी;
- (च) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित अधिकारी, समुचित मजिस्ट्रेट के पास एक आवेदन फाइल कर सकेगा और ऐसा मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति से उसमें विनिर्दिष्ट रकम को वसूल करने के लिए ऐसे कार्यवाही करेगा मानो यह उसके द्वारा अधिरोपित जुर्माना था।
- (2) जहां इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अधीन निष्पादित किसी बंधपत्र या लिखित के निबंधन यह उपबंध करते हैं कि ऐसी लिखत के अधीन शोध्य किसी रकम को उपधारा (1) के अधिकथित रीति में वसूल किया जाएगा वहां वसूली के किसी अन्य ढंग पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना रकम की उस धारा के उपबंधों के अनुसार वसूली की जाएगी।
- (3) जहां कर, ब्याज या शास्ति की कोई रकम इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा सरकार को संदेय है और जो असंदत्त रहती है वहां राज्य कर या संघ राज्यक्षेत्र कर का समुचित अधिकारी उक्त कर बकाया की वसूली के अनुक्रम में उक्त व्यक्ति से रकम की वसूली इस प्रकार करेगा मानो वह राज्य कर, ¹[संघ राज्यक्षेत्र कर] की बकाया थी और इस प्रकार वसूल की गई रकम को सरकार के खाते में जमा

1 यहाँ पर ये शब्द अंग्रेजी संस्करण को देखते हुये दिये गये हैं।

करेगा।

- (4) जहां उपधारा (3) के अधीन वसूल की गई रकम केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार को शोध्य रकम से कम है वहां संबंधित सरकारों के खाते में रकम को, प्रत्येक ऐसी सरकार को शोध्य रकम के अनुपात में जमा किया जाएगा।

²[स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए व्यक्ति शब्द में, यथास्थिति, धारा 25 की उपधारा (4) या उपधारा (5) में यथानिर्दिष्ट 'विशिष्ट व्यक्ति' सम्मिलित होंगे।]

2 सीजीएसटी (संशोधन) अधिनियम, 2018 (2018 का 31) द्वारा स्पष्टीकरण अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 2/2019-केन्द्रीय कर, दिनांक 29.01.2019 द्वारा इसको दिनांक 01.02.2019 से प्रभावशील किया गया।